सिविल मिसेलेनियस

एच आर सोधी, जे. के सामने

मेसर्स एमएम बिलीनी एंड कंपनी-याचिकाकर्ता
बनाम
मेसर्स जैमना ऑटो इंडस्ट्रीज,-उत्तरदाता

1968 की सिविल विविध संख्या 27-एम

4 अक्टूबर, 1968

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम 5)-धारा 22 और 23-एक प्रतिवादी द्वारा दायर स्थानांतरण के लिए आवेदन-प्रतिवादी ने पहले से ही उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्तियां उठाई हैं जिसमें मुकदमा लंबित है-ऐसी परिस्थितियों में आवेदन-क्या इसे दायर किया जा सकता है- आवेदन दाखिल करने के समय के बारे में प्रावधान-क्या यह निर्देशिका है?

अभिनिर्धारित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 22 केवल वहीं आकर्षित की जाती है जहां दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किसी एक में वाद संस्थित किया जा सकता था और ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया गया है, लेकिन जहां प्रतिवादियों की याचिका यह है कि जिस न्यायालय में वाद लंबित है, उसकी कोई अधिकारिता नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है। न्यायालय ने अभी तक प्रतिवादी द्वारा उठाए गए अपने अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्णय नहीं किया है और यदि अंततः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का कोई प्रश्न संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब दोनों वाद किसी भी न्यायालय में विचारण योग्य हों तभी संहिता की धारा 22 और 23 के अधीन अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन याचिका दायर की जा सकती है।

(Para 3)

अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 22 के अधीन आवेदन जल्द से जल्द संभव अवसर पर किया जाना चाहिए और उन सभी मामलों में जहां ऐसे समाधान पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया जाता है। यह धारा वादी के एक मध्यस्थ के रूप में अपना मंच चुनने के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अधिकार को कम करती है और अदालतें आम तौर पर ऐसे अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होती हैं। जब विधायिका ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं जिनके पूरा होने पर ही वादी के इस अधिकार को कम किया जा सकता है, तो यह अभिनिर्धारित करना कानूनों की व्याख्या के सभी सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा कि ऐसी शर्तों को केवल निर्देशिका माना जाना चाहिए और अनिवार्य नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी व्याख्या विधानमंडल के इरादे के विपरीत होगी जैसा कि

संहिता की धारा 22 और 23 में देखा गया है। इसलिए इन धाराओं के तहत आवेदन दाखिल करने के समय के बारे में प्रावधान अनिवार्य है।

(Para 4 and 5)

याचिकाकर्ताओं की ओर से जे. के. हीरानंदानी अधिवक्ता और ललित मोहन सूरी अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से वी. पी. गांधी और अधिवक्ता मुनीश्वर पुरी।

निर्णय

सोधी, जस्टिस

1. यह मेसर्स एम. एम. बिलानी एंड कंपनी द्वारा दायर एक याचिका है, जो एक साझेदारी फर्म है, जो प्रतिवादी मेसर्स जमना ऑटो इंडस्ट्रीज द्वारा जगाधरी में दायर एक मुकदमे में प्रतिवादी हैं। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता बॉम्बे में अपना व्यवसाय करने वाले सलाहकार इंजीनियर हैं और उत्तरदाताओं ने जगाधरी में अपने कारखाने का विस्तार करने के लिए अपनी सेवाएं लेने का फैसला किया। पक्षकारों के बीच पत्राचार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों का निपटारा किया गया था और उन्होंने वादी उत्तरदाताओं के खिलाफ ब्याज के साथ 41036 रुपये का कुल दावा किया था। दूसरी ओर वादी चाहते थे कि उनके द्वारा याचिकाकर्ताओं को दिए गए 7500 रुपये वापस किए जाएं, इस बात से इनकार करते हुए कि क्या कोई पूर्ण अनुबंध था। इस याचिका के प्रयोजन के लिए पक्षकारों के अभिवचन के विवरण में जाना आवश्यक नहीं है और यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि वादी ने 17 मई, 1967 को अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी जगाधरी के न्यायालय में 7500 रुपये की उक्त राशि की वसूली के लिए एक वाद दायर किया था। प्रतिवादियों के याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का समन भेजा गया और उन्होंने एक लिखित बयान दायर किया। मुकदमे के मुद्दों का निपटारा 5 फरवरी, 1968 को किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने 23 अगस्त, 1967 को बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रतिवादियों के खिलाफ अपने दावे के लिए एक मुकदमा भी दायर किया था।

2. याचिकाकर्ताओं के वकील श्री जे. के. हीरानंदानी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने द्वारा दायर लिखित बयान में जगाधरी में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई है और इस आशय का एक मुद्दा भी उठाया गया है। 5 फरवरी, 1968 को मुद्दों के निपटारे के बाद याचिकाकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 22,23 और 151 के तहत 1968 की वर्तमान सिविल विविध याचिका संख्या 27-एम 12 जून, 1968 को दायर की। इस याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि जगाधरी के मामले को बंबई उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए ताकि दोनों को समेकित किया जा सके और एक साथ निपटाया जा सके। याचिका में कहा गया है कि दोनों मुकदमों में तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं और बॉम्बे का मुकदमा अधिक व्यापक है जिसमें पक्षों के बीच उठाए गए सभी विवादों को आसानी से निपटाया जा सकता है। बॉम्बे में दोनों मुकदमों की सुनवाई के पक्ष में सुविधा के संतुलन का

तर्क भी दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका दायर करने से पहले सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत प्रतिवादियों को एक नोटिस दिया।

3. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री जे. के. हीरानंदानी और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री वी. पी. गांधी को सुना है। श्री गांधी द्वारा प्रारंभिक आपत्ति जताई गई है कि इस न्यायालय में स्थानांतरण के लिए ऐसी कोई याचिका सक्षम नहीं है क्योंकि संहिता की धारा 22 और 23 वर्तमान मामले की परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है। तर्क यह है कि वे याचिकाकर्ता जो जगाधरी के वाद में प्रतिवादी हैं, जिन्होंने वहां के न्यायालय की अधिकारिता पर आपत्ति जताई है, उसी समय उस मुद्दे पर निर्णय लिए बिना मामले के हस्तांतरण के लिए इस न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। श्री गांधी का दूसरा तर्क यह है कि याचिका विलंबित है और संहिता की धारा 22 और 23 के विचार के भीतर नहीं है क्योंकि ऐसी याचिका यदि की जा सकती थी तो मुद्दों के निपटारे से पहले की जानी चाहिए थी। संहिता की धारा 22 और 23 के प्रावधानों को यहां लाभ के साथ पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है और वे निम्नलिखित शर्तों में हैं –

> "22. जहां कोई वाद दो या अधिक न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में अन्य पक्षकारों को सूचना दिए जाने के पश्चात् कोई प्रतिवादी संस्थित किया जाता है, वहां यथाशीघ्र संभव अवसर पर और उन सभी मामलों में जहां ऐसे निपटान पर या उससे पूर्व मुद्दों का निपटारा किया जाता है, उस वाद को दूसरे न्यायालय में अंतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है और जिस न्यायालय को ऐसा आवेदन किया गया है, वह न्यायालय अन्य पक्षकारों की आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् (यदि कोई हो) यह निर्धारित करेगा कि मुकदमा अधिकारिता वाले कई न्यायालयों में से किस न्यायालय में आगे बढ़ेगा।
>
> 23. (1) जहां अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वहां धारा 22 के तहत अपीलीय न्यायालय में एक आवेदन किया जाएगा।
>
> (2) जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न अपीलीय न्यायालयों के अधीन हैं, लेकिन एक ही उच्च न्यायालय के अधीन हैं, वहां उक्त उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाएगा।
>
> (3) जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, वहां आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय, जिसमें वाद लाया गया है, स्थित है।"

कानून के इन प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान याचिका पूरी तरह से गलत है। धारा 22 को केवल वहीं आकर्षित किया जा सकता है जहां दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किसी एक में मुकदमा दायर किया जा सकता था और ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में स्थापित किया गया है, लेकिन जहां प्रतिवादियों की याचिका यह है कि एक न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा मुकदमा उस न्यायालय में दायर किया जा सकता है।जगाधरी के विचारण न्यायालय ने अभी तक

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अपने अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया है और यदि यह अंततः माना जाता है कि न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो मामले को बॉम्बे के न्यायालय में स्थानांतरित करने का कोई प्रश्न संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब दोनों वाद किसी भी न्यायालय में विचारण योग्य हों तभी संहिता की धारा 22 और 23 के अधीन अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन याचिका दायर की जा सकती है। याचिकाकर्ता असंगत स्थिति नहीं ले सकते हैं और गर्म और ठंडा दोनों को एक साथ नहीं उड़ा सकते हैं। इसलिए, याचिका इस संक्षिप्त आधार पर खारिज होने के योग्य है कि याचिकाकर्ताओं ने जगाधरी में दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अभाव की याचिका को उठाया है। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, कराची बनाम रतन इंजीनियरिंग कंपनी, लाहौर (A.I.R. 1923 Lahore 288 (2).) के रूप में रिपोर्ट किए गए एक मामले द्वारा मैं कानून के इस दृष्टिकोण में मजबूत हूं, जहां अब्दुल कादिर, न्यायमूर्ति ने कहा कि जहां एक अदालत की अधिकारिता से इनकार किया जाता है, धारा 22 और 23 के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं हो सकता है। फर्म राबू लाई गिरधारीलाल बनाम सेठ कोटुमल के रूप में रिपोर्ट किए गए एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी यही विचार रखा है (A.I.R 1941 All. 27.).

4. याचिका एक अन्य दुर्बलता से भी ग्रस्त है क्योंकि इसमें बहुत देर हो चुकी है। धारा 22 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी याचिका जल्द से जल्द संभव अवसर पर और उन सभी मामलों में की जानी चाहिए जहां ऐसे निपटान पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया जाता है। यह ध्यान दिया जाएगा कि वर्तमान मामले में मुद्दे, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 5 फरवरी, 1968 को तैयार किए गए थे और स्थानांतरण के लिए याचिका लगभग चार महीने बाद 12 जून, 1968 को दायर की गई थी, जब 20 जून, 1968 को साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। बल्कि सबूत दर्ज होने से रोकने के लिए ऐसा लगता है कि ऐसी याचिका दायर की गई थी।

5. श्री हीरानंदानी का तर्क है कि संहिता की धारा 22 और 23 में दी गई याचिका दायर करने की शर्तें केवल निर्देशिका हैं और अनिवार्य नहीं हैं। यह विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत एक चौंका देने वाला प्रस्ताव है, और वह किसी भी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इसका समर्थन नहीं कर सकता था। विद्वान वकील द्वारा सुझाई गई ऐसी कोई भी व्याख्या कानून के इन प्रावधानों के उद्देश्य और योजना को पूरी तरह से नकारात्मक बना देगी। विधायिका ने सबसे असंदिग्ध शर्तों में स्थानांतरण के लिए ऐसी याचिका बनाने के लिए कुछ शर्तें पूर्व-आवश्यक रखी हैं और वे हैं:-

   (1) जिस वाद का अंतरण किया जाना अपेक्षित है, वह दोनों न्यायालयों में से किसी एक द्वारा संज्ञेय है;

   (2) स्थानांतरण के लिए याचिका दायर करने से पहले दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए; और

   (3) स्थानांतरण के लिए याचिका जल्द से जल्द संभव अवसर पर और सभी मामलों में मुद्दों के निपटारे पर या उससे पहले की जानी चाहिए।

संहिता की धारा 22 वादी के एक मध्यस्थ के रूप में अपना मंच चुनने के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अधिकार को कम करती है और अदालतें आम तौर पर ऐसे अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होती हैं। जब विधायिका ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं जिनके पूरा होने पर ही वादी के इस अधिकार को कम किया जा सकता है, तो यह अभिनिर्धारित करना कानूनों की व्याख्या के सभी सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा कि ऐसी शर्तों को केवल निर्देशिका माना जाना चाहिए और अनिवार्य नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी व्याख्या विधानमंडल के इरादे के विपरीत होगी जैसा कि संहिता की धारा 22 और 23 में देखा गया है। पंडित शिव दत्त और अन्य बनाम पंडित मोतीराम और अन्य (A.I.R. 1925 Lahore 322 (1)) के रूप में रिपोर्ट किए गए एक मामले में न्यायमूर्ति जफर अली ने संहिता की धारा 22 के तहत किए गए स्थानांतरण के लिए एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस तरह के आवेदन को जल्द से जल्द अवसर पर या मुद्दों के निपटान से पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था। आवेदन को अस्वीकार करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 22 की भाषा अनिवार्य थी।

6. श्री वी. पी. गांधी ने डॉ. राजनाथ बनाम एल. विद्याराम और अन्य (A.I.R. 1953 All. 772.) पर भी भरोसा किया, जहां मुद्दों के निपटारे के छह महीने बाद किया गया एक आवेदन खारिज कर दिया गया था, यह माना जा रहा था कि धारा 22 में दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया था। फर्म बिहारी लाल कन्हैयालाल बनाम आधिकारिक रिसीवर, दिवाला संपदा, लाहौर (A.I.R. 1925 Lah. 175) में, जहां इसी तरह का एक मामला विचार के लिए आया था, ब्रॉडवे जस्टिस ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 22 के प्रावधान अनिवार्य थे और इस धारा के तहत आवेदन जल्द से जल्द अवसर पर किया जाना चाहिए और ऐसे मामले में जहां ऐसे निपटान पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया जाता है।

7. श्री हीरानंदानी के इस तर्क को स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि एक उदार निर्माण दिया जाना चाहिए और 'एट' शब्द के उपयोग से पता चलता है कि स्थानांतरण के लिए याचिका 'मुद्दों के निपटारे के बाद किसी भी समय' की जा सकती है। मुझे समझ नहीं आता कि ' एट ' शब्द का अर्थ 'मुद्दों के निपटारे के बाद किसी भी समय' कैसे हो सकता है। यह व्याख्या ' एट ' शब्द के सामान्य और व्याकरणिक अर्थ के विपरीत है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया था। श्री गाँधी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियाँ प्रबल हैं और उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप याचिका विफल हो जाती है और 200 रुपये की लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

9. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस निर्णय में मैं याचिका के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा हूँ, जिसमें पक्षों की सुविधा के संतुलन का प्रश्न भी शामिल है।

अस्वीकरण :स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कहखोदा (सोनीपत) हरियाणा